(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या-01/2024-सीमाशुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. ..... (अ)- जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित “न्यू/अनयूज्ड, न्यूमेटिक रेडियल टायर्स चाहे इनमें ट्यूब्स लगी हो या नहीं और चाहे इनमें रबर के फ्लैप लगे हो या नहीं (इनमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं) जिनका नामिनल रिम डाया कोड 16” से ऊपर हो, जिनका प्रयोग बसों और लारियों/ट्रकों में होता हो” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 4011 20 10 के अंतर्गत आता है, के आयात पर, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 जून, 2019 जिसे सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 24 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए काउंटरवेलिंग शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर काउंटरवेलिंग शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 24 के अनुपालन में, अधिसूचना संख्या 7/30/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर 2023, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार उक्त काउंटरवेलिंग शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धाराओं (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियमों 20 और 24 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 24 जून 2019, जिसे सा.का.नि.

449(अ), दिनांक 24 जून 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है,यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के माध्यम से लगाया गया काउंटरवेलिंग शुल्क 23 जुलाई, 2024 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जाता है, या संशोधन नहीं किया जाता है, तो लागू रहेगी ।"

[फाइल संख्या 190354/19/2024 -टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमा शुल्क(सीवीडी), दिनांक 24 जून, 2019 को सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 24 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।